रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112025-267394
CG-DL-E-05112025-267394

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 2025/कार्तिक 13, 1947
No. 732] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2025/KARTIKA 13, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 818(अ).— केन्द्रीय सरकार, समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 7 की उपधारा (4) के खंड (क) के साथ पठित धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के अन्वेषण, उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, अनुप्रयोग और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी का सतत उपयोग नियम**, 2025** है।

(2) ये नियम अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों पर लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रवेश पास" से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया पास है;

(ख) "अधिनियम" से समुद्री जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, **1976 (1976** का **80)** अभिप्रेत है;

(ग) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से तात्पर्य राज्य के किसी अधिकारी से है, जो सहायक निदेशक के पद से नीचे का न हो तथा जिसे संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;

(घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "अपीली प्राधिकारी" का अर्थ है मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद से अन्यून अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;

(च) "मत्स्य" का अर्थ है फिनफिश, मोलस्क, क्रस्टेशियन और समुद्री स्तनधारियों, सरीसृपों और समुद्री पक्षियों को छोड़कर समुद्री जानवरों और पौधों के सभी अन्य प्रकार;

(छ) "मत्स्यन" का अर्थ है किसी भी विधि से मत्स्य खोज करना, उसका लक्ष्य रखना, आकर्षित करना, पकड़ना, ग्रहण करना या हार्वेस्टिंग करना;

(ज) "मत्स्यन संबंधित गतिविधियों" का अर्थ है मत्स्य को उतारना, पैकेजिंग करना, विपणन करना, प्रसंस्करण करना, संरक्षण करना, भंडारण करना, जीवित मत्स्य का ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसशिपिंग करना, या पहले बंदरगाह पर नहीं उतारे गए मत्स्य का ट्रांसपोर्टेशन करना;

(झ) "मत्स्यन पोत" से ऐसा पोत या नाव अभिप्रेत है जो विशेष रूप से लाभ के लिए समुद्र में मत्स्यन में लगा हुआ है;

(ञ) "जारीकर्ता प्राधिकारी" से अभिप्राय केन्द्रीय सरकार के मत्स्यपालन विभाग में उप निदेशक के पद से अन्यून अधिकारी से है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन पोतों को प्रवेश पास जारी करने के लिए नामित किया गया है;

(ट) "यंत्रीकृत मत्स्यन पोत" से ऐसा मत्स्यन पोत अभिप्रेत है जिसके पतवार या बोर्ड पर इंजन लगा होता है, जो प्रणोदन और मत्स्यन कार्य जैसे जाल डालना और खींचना या लाइनें चलाना आदि के लिए मशीनी शक्ति का उपयोग करता है;

(ठ) "मोटर चालित मत्स्यन पोत" से अभिप्राय है, एक इंजन युक्त मत्स्यन पोत, जो अंदर या बाहर लगा हो, जिसका उपयोग केवल प्रणोदन के लिए किया जाता हो, न कि मत्स्यन कार्यों के लिए;

(ड) "प्रचालक" से तात्पर्य किसी व्यक्ति या उद्यम, या मत्स्य किसान उत्पादक संगठन या मात्स्यिकी सहकारी समितियों (बहु-राज्य सहकारी समितियों सहित) से है, जो मत्स्यन पोत के संचालन या प्रबंधन को नियंत्रित करता है या जिसने इसके संचालन की जिम्मेदारी संभाली है;

(ढ) मत्स्यन पोत के संबंध में "मालिक" से पोत का मालिक और कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत कोई संगठन या व्यक्तियों का संघ भी है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसके पास पोत या पोत में कोई हिस्सा है और इसमें बंधक, पट्टेदार या पोत का वास्तविक कब्जा रखने वाला अन्य व्यक्ति भी शामिल है;

(ण) "मत्स्यन पोत का रजिस्ट्रार" से व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435ड के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(त) "मत्स्यन क्राफ्ट का पंजीकरण और लाइसेंसिंग" या "रियलक्राफ्ट" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित वेब-सक्षम अनुप्रयोग पोर्टल पर मत्स्यन पोत को पंजीकृत करना और प्रवेश पास जारी करना ;

(थ) "राज्य" से तात्पर्य तटीय रेखा वाली राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से है;

(द) "सत्यापन अधिकारी" से अभिप्राय राज्य के किसी अधिकारी से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके परामर्श से दस्तावेजों के सत्यापन तथा प्रवेश पास प्रदान करने के लिए मत्स्यन पोत के भौतिक निरीक्षण के लिए नामित किया गया है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु समुद्री जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) और व्यापारिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

3. प्रवेश पास – (1) चौबीस मीटर और उससे अधिक लंबाई वाले सभी मोटर चालित मत्स्यन पोत और मशीनीकृत मत्स्यन पोत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र में परिचालन के लिए प्रवेश पास प्राप्त होगा।

(2) चौबीस मीटर से कम कुल लंबाई वाले मोटर चालित मत्स्यन पोत के लिए प्रवेश पास की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन पोत के जो विशेष रूप से टूना और टूना जैसी प्रजातियों के मछली पकड़ने में लगे हों।

(3) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन करने वाले मत्स्यन पोत को समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं, अनुवीक्षण, नियंत्रण और निगरानी तथा संरक्षण और प्रबंधन उपायों का अनुपालन करना होगा।

4. प्रवेश पास जारी करने की प्रक्रिया - (1) पंजीकृत मत्स्यन पोत का मालिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए ऐसे पोत का उपयोग करने के लिए प्रवेश पास प्रदान करने के लिए सत्यापन अधिकारी को फॉर्म 1 में रियलक्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(2) मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के प्रावधानों के अनुसार मत्स्यन पोत की उपयुक्तता और समुद्री योग्यता के अधीन फॉर्म II में प्रवेश पास जारी किया जाएगा।

(3) संबंधित बंदरगाह का सत्यापन अधिकारी दो सप्ताह के भीतर दस्तावेजों की वैधता और प्रामाणिकता सहित आवेदन का सत्यापन करेगा और इसे जारीकर्ता प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "बंदरगाह" से तात्पर्य केन्द्रीय सरकार या राज्य द्वारा निर्दिष्ट बंदरगाह, मत्स्यन बंदरगाह या मछली उतारने का केंद्र है।

(4) यदि सत्यापन अधिकारी दो सप्ताह के भीतर सत्यापित आवेदन और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो लंबित स्थिति स्वचालित रूप से जारीकर्ता प्राधिकारी को भेज दी जाएगी।

(5) जारीकर्ता प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, निर्दिष्ट क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन पोत का उपयोग करने के लिए पांच से दस कार्य दिवसों के अंदर प्रवेश पास प्रदान कर सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "निर्दिष्ट क्षेत्र" से तात्पर्य जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन या मत्स्यन संबंधित गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से है।

(6) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी या नवीकृत प्रत्येक प्रवेश पास फार्म II में होगा, जिसे आवेदक द्वारा ReALCRaft पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।

(7) उप-नियम (6) के अधीन जारी प्रवेश पास में मत्स्यन पोत के प्रचालक या मालिक द्वारा अनुपालन किए जाने वाले लागू निबंधन और शर्तों का उल्लेख होगा।

(8) जहां प्रवेश पास के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वहां आवेदक को ऐसे अस्वीकार के कारणों से अवगत कराया जाएगा।

(9) मालिक या प्रचालक, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित करेगा कि मूल प्रवेश पास, भौतिक या डिजिटल रूप में, मत्स्यन पोत पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाए।

(10) प्रवेश पास अहस्तांतरणीय, गैर-आबंटित होगा तथा पोत-विशिष्ट होगा।

(11) यदि जारीकर्ता प्राधिकारी, इस संबंध में उसे किए गए संदर्भ पर या अन्यथा, इस बात से संतुष्ट है कि प्रवेश पास कपट या आवश्यक तथ्य के बारे में गलत बयानी द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वह प्रवेश पास के धारक को कारण बताने का उचित अवसर देने के पश्चात प्रवेश पास को रद्द या निलंबित कर सकता है ।

5. प्रवेश पास की वैधता और नवीकरण.- (1) प्रवेश पास जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

(2) मत्स्यन पोत का मालिक मौजूदा प्रवेश पास की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले ReALCRaft पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) जहां प्रवेश पास के नवीकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, वहां आवेदक को ऐसे अस्वीकार के कारणों की लिखित में सूचना दी जाएगी।

6. निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण - (1) प्रवेश पास वाला मत्स्यन पोत मछली उतारने के लिए अपने आधार बंदरगाह से चलेगा और वहीं वापस आएगा।

(2) यदि कोई मत्स्यन पोत अपने आधार बंदरगाह के अलावा किसी अन्य बंदरगाह में प्रवेश करने का इरादा रखता है, तो इसकी सूचना मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार, जारीकर्ता प्राधिकारी और प्राधिकृत अधिकारियों को दी जाएगी।

(3) यदि किसी मत्स्यन पोत को किसी अन्य देश के प्राधिकारियों द्वारा जब्त या हिरासत में लिया जाता है, तो पोत का मालिक या संचालक तुरंत इसकी सूचना राज्य मत्स्यपालन विभाग और जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, राज्य मत्स्यपालन विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में प्रख्यापित पोत संचार और सहायता प्रणाली के लिए मानक प्रचालन प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

(4) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(5) मत्स्यन पोत समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्रख्यापित पोत संचार और सहायता प्रणाली के लिए मानक प्रचालन प्रोटोकॉल के अनुसार अपना विवरण राज्य मत्स्यपालन विभाग के निगरानी स्टेशनों को प्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आधार बंदरगाह" से अभिप्राय प्रवेश पास में दर्शाए गए मत्स्यन पोत के प्रचालन बंदरगाह से है।

7. निरीक्षण और प्रवर्तन.- (1) प्राधिकृत अधिकारी समुद्र में मत्स्यन पोत के अनुवीक्षण, नियंत्रण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी उल्लंघन की रिपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और संबंधित मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार को लिखित रूप में, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से करेगा।

8. मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाएं - (1) केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक संस्थाओं, तटीय राज्यों, मछुआरों और उनके संघों के परामर्श से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सतत मात्स्यिकी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए मात्स्यिकी प्रबंधन

योजनाएं निर्दिष्ट करेगी, जो अधिकतम सतत उपज जैसे प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप मत्स्य मृत्यु दर या स्टॉक बायोमास स्तर सहित सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक संस्थाओं, तटीय राज्यों, मछुआरों और उनके संघों के परामर्श से, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री शैवाल की कृषि सहित समुद्री कृषि के लिए कदम उठाएगी और मत्स्यन के दबाव को कम करने, अतिरिक्त आजीविका सृजित करने और समुद्र से उत्पादन बढ़ाने के उपायों को बढ़ावा देगी।

स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "समुद्री कृषि" से समुद्री जलीय जीवों की कृषि

अभिप्रेत है, जिसमें मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन और जलीय पौधे शामिल हैं।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अंतर्गत मात्स्यिकी प्रबंधन योजना में निम्नलिखित प्रबंधन कार्य शामिल हो सकते हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, अर्थात्:-

(i) स्थानिक और सामयिक मत्स्यन का बंद होना;

(ii) मत्स्यन गियर प्रतिबंध;

(iii) पकड़ने के लिए मत्स्य का न्यूनतम कानूनी आकार;

(iv) मत्स्यन पोत या मात्स्यिकी में भाग लेने वालों की संख्या पर सीमाएं;

(v) बायकैच न्यूनीकरण उपाय;

(vi) पारंपरिक और गैर-पारंपरिक समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों जैसे समुद्री स्क्विड, माइक्टोफिड्स का इष्टतम उपयोग;

(vii) समुद्री प्रदूषण, परित्यक्त, खोए हुए या त्यागे गए मत्स्यन उपकरण या छोड़े गए उपकरण से निपटने के उपाय;

(viii) गहरे समुद्र और महासागरीय संसाधनों के लिए सतत मत्स्यन और पोत पर मत्स्य संचालन के लिए कौशल और क्षमता निर्माण;

(ix) मत्स्यन पोत पर पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ;

(x) आवश्यक मत्स्य प्राकृतिक वास (ईएफएच) की पहचान और संरक्षण, जिसमें स्पॉनिंग, प्रजनन और फीडिंग ग्राउंड शामिल हैं;

(xi) समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित संरक्षण और प्रबंधन उपाय; और

(xii) मत्स्य भंडार का संरक्षण या पुनर्जीवन उपाय जैसे सी रेंचिंग , कृत्रिम भित्तियों की स्थापना।

(4) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन और मत्स्यन संबंधित गतिविधियों में लगे सभी मत्स्यन पोत उप-नियम (1) के तहत जारी मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाओं का अनुपालन करेंगे।

(5) केन्द्रीय सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन कौशल और मूल्य-श्रृंखला दक्षताओं को बढ़ाने के लिए मात्स्यिकी सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों सहित पारंपरिक और लघु-स्तरीय मछुआरों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी।

9. कैच की उत्पत्ति - (1) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन करने वाले भारतीय मत्स्यन पोत द्वारा पकड़े गए मत्स्य को भारतीय मूल का माना जाएगा और भारत के क्षेत्र में स्थित किसी पोर्ट पर उतारे जाने पर उस पर कोई आयात शुल्क, उपकर या लेवी लागू नहीं होगी। ।

(2) किसी भारतीय मत्स्यन पोत द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में पकड़ी गई और विदेशी बंदरगाह पर उतारी गई मत्स्य को निर्यात के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वह लागू कानूनों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

(3) संबंधित मत्स्यन पोत का रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकरण पोत के कप्तान द्वारा विधिवत् प्रमाणित पकड़(कैच) से संबंधित आंकड़ों के सत्यापन के लिए जिम्मेदार होगा और नियम 12 में यथा उपबंधित तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, **" स्किपर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास मत्स्यन पोत की कमान या प्रभार है या उसके संचालन की जिम्मेदारी है।**

10. कैच और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र.- (1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और निर्यात निरीक्षण परिषद, लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार, ट्रेसेबिलिटी, स्वच्छता मानकों के अनुपालन और इको-लेबलिंग के प्रयोजनों के लिए मत्स्यन पोत द्वारा पकड़ी गई मत्स्य के लिए क्रमशः कैच सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं।

(2) कैच सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए आवेदन संबंधित एजेंसियों के निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन्हें पोत और कैच से संबंधित जानकारी के सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए ReALCRaft पोर्टल के साथ विधिवत एकीकृत किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) " निर्यात निरीक्षण परिषद" से तात्पर्य निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित निर्यात प्रमाणन निकाय अभिप्रेत है;

(ख) "कैच सर्टिफिकेट" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो मत्स्य या मात्स्यिकी उत्पादों की खेप के साथ आपूर्ति श्रृंखला से गुजरने वाली मत्स्य के संबंध में सटीक और सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए दिया जाता है;

(ग) "समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण" से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) के अधीन स्थापित प्राधिकरण से है।

11 मिड-सी ट्रांसशिपमेंट – (1) एक्सेस पास के साथ मत्स्यन पोत के संचालक या मालिक संबंधित क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन के लागू पैमानों और समय-समय पर प्रख्यापित भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार, मीड सी में मदर वेसल्स के लिए ट्रांसशिपमेंट कर सकता है।

स्पष्टीकरण. - इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, **"मदर वेसल्स"** से तात्पर्य ऐसे पोत से है, जिसे वाहक पोत, प्राप्तकर्ता पोत या फैक्टरी पोत भी कहा जाता है, जो कैच को प्राप्त करके, भंडारण करके, प्रसंस्करण करके और संरक्षित करके तथा उसे बंदरगाह तक पहुंचाकर समुद्र में मत्स्यन पोत को सहायता प्रदान करता है, तथा ईंधन, खाद्य, पानी, चालक दल की चिकित्सा आवश्यकताओं या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है।

(2) प्रचालक या मालिक, जारीकर्ता प्राधिकारी, मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार और इंडियन कोस्ट गार्ड को कम से कम अड़तालीस घंटे पहले सूचित करेंगे, जिसमें फॉर्म III में मदर वेसल्स, पकड़ी गई मत्स्य की मात्रा, प्रजाति और ट्रांसशिपमेंट की तारीख, समय और निर्देशांक का ब्यौरा देना होगा।

12. कैच रिपोर्टिंग . – (1) मत्स्यन पोत के रजिस्ट्रार, प्राधिकृत अधिकारी, जारीकर्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारियों को ऐसे प्रारूप में और ऐसे आवधिक अंतरालों पर मत्स्य संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के मत्स्यन पोत के लिए यात्रा रिपोर्ट का प्रारूप निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फिश कैच, मत्स्यों की प्रजातियों, संख्या, वजन, मत्स्यन क्षेत्रों और यात्रा अवधि का विवरण शामिल हो सकता है।

13. मछुआरों और चालक दल की पहचान . – विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन पोत पर सवार प्रत्येक मछुआरे और चालक दल के सदस्य को समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट QR कोड वाला आधार कार्ड या मरीन फिशरिज डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड साथ रखना होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, **"मछुआरे" से तात्पर्य ऐसे मछुआरे और मछुआरिनों से है जो आजीविका या लाभ के लिए मत्स्यन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिनमें मत्स्य श्रमिक भी शामिल हैं।**

14. विनाशकारी मत्स्यन, जुवेनाइल मत्स्यन और नो फिशिंग जोन पर प्रतिबंध - केन्द्र सरकार, राज्यों और वैज्ञानिक संस्थानों के परामर्श से, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (प्रादेशिक जल से परे) में निम्नलिखित गतिविधियों को विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध करेगी, अर्थात: -

(क) डायनामाइट, विस्फोटक, जहर, हानिकारक रसायन, या अन्य विनाशकारी सामग्री या विधियों का उपयोग, जिसमें पेयर ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग शामिल है;

(ख) ट्रॉलिंग, पर्स-सीनिंग और गिल नेटिंग कार्यों के लिए मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत या मोटोराइज्ड फिशिंग क्रॉफ्ट पर जनरेटर के साथ या उसके बिना सतह या जलमग्न आर्टिफिशियल लाइट्स या एलईडी लाइट्स, फिश लाइट अट्रैक्टर या किसी अन्य प्रकाश उपकरण का उपयोग या स्थापना या संचालन;;

(ग) जुवेनाइल फिश को पकड़ना या संबंधित गतिविधियाँ;

(घ) 'नो फिशिंग जोन" या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे 'निर्दिष्ट क्षेत्रों' में मत्स्यन; और

(ड) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध अवधि के दौरान मत्स्यन।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "जुवेनाइल मत्स्य" से तात्पर्य मत्स्य की उस प्रजाति से है जो समय-समय पर निर्दिष्ट मात्स्यिकी प्रबंधन योजना(ओं) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक रूप से निर्धारित न्यूनतम लीगल साइज से कम है।

15. अवैध, रिपोर्ट न की गई और अनियमित मत्स्यन पर प्रतिबंध - केन्द्र सरकार अवैध, रिपोर्ट ना की गई और अनियमित मत्स्यन को रोकने, निवारण और समाप्त करने के लिए एक नेशनल प्लांन जारी करेगी, जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में परिचालन करने वाले वेसल्स को अनुपालन करना होगा।

16. क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अनुपालन - मत्स्यन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियां संबंधित क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठनों के प्रासंगिक संरक्षण और प्रबंधन उपाय जिनमें भारत भी शामिल है के अनुपालन में होंगी।

17. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच – (1) जहां प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास हो कि किसी मत्स्यन पोत का उपयोग इन नियमों के किसी उपबंध या एक्सेस पास की किसी शर्त के उल्लंघन में किया जा रहा है या किया गया है, तो वह इसकी रिपोर्ट अधिनिर्णयन अधिकारी को देगा

(2) इन नियमों के प्रावधानों या एक्सेस पास की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए उचित समय देने के बाद जांच करेगा।

18. उल्लंघन और दंड.- (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, नियम **17** के उपनियम **(2)** के अधीन जांच के पश्चात् यह विनिश्चय करेगा कि क्या किसी व्यक्ति ने इन नियमों के किसी उपबंध या एक्सेस पास की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुए किसी मत्स्यन पोत का उपयोग किया है, कराया है या करने दिया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा:-:-

(क). 15 मीटर से कम कुल लम्बाई वाले मोटोराइज्ड और मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में , वह पांच हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, तथा बाद में उल्लंघन करने पर पंद्रह हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

(ख). 15 मीटर से अधिक लंबाई और 24 मीटर से कम कुल लंबाई वाले मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में, वह दस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, और बाद में उल्लंघन करने पर, जुर्माना पच्चीस हजार रुपए तक हो सकता है।

(ग). 24 मीटर या उससे अधिक लम्बाई वाले मेकेनाइज्ड मत्स्यन पोत के मामले में, वह तीस हजार रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होगा, तथा बाद में उल्लंघन करने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन लगाए जा सकने वाले किसी जुर्माने के अतिरिक्त, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित को निर्देश दे सकेगा-

(क) मत्स्यन पोत के एक्सेस पास को छह महीने से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए निलंबित कर सकता है; या

(ख) जैसा भी मामला हो, एक्सेस पास को रद्द या निरस्त कर सकता है।

(3) एक्सेस पास के निलंबन की स्थिति में, ऑपरेटर को तत्काल यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे पोत का मत्स्यन या मत्स्यन से संबंधित गतिविधियां तब तक बंद कर दी जाएं जब तक कि निलंबन लिखित रूप में रद्द न कर दिया जाए।

(4) निलंबित या रद्द किए गए एक्सेस पास का अब उपयोग नहीं किया जाएगा और ऐसे निलंबित या रद्द किए गए एक्सेस पास की स्थिति जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा रीएएलसीआरएएफटी पर अद्यतन की जाएगी।

(5) इन नियमों के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए आर्थिक दंड राज्य द्वारा भूमि पर देय लोक राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किए जाएंगे, जिसमें संबंधित राज्य के भूमि राजस्व कानूनों के अंतर्गत कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

19. अपीलें.- (1) नियम 4 या 5 के तहत जारीकर्ता प्राधिकारी के आदेश से या नियम 18 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अंसतुष्ट कोई भी व्यक्ति आदेश की सूचना के तीस दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपीलीय प्राधिकारी पक्षकारों को उचित अवसर देने के पश्चात अपील की सुनवाई करेगा तथा शीघ्रता से अंतिम आदेश जारी करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की स्वप्रेरणा से समीक्षा कर सकता है, जिसके विरुद्ध तीन महीने की अवधि के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई है, ताकि वैधता, औचित्य या प्रक्रियात्मक नियमितता सुनिश्चित की जा सके, बशर्ते कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।

20. न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां ।- न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी, जांच करते समय, मालिक या संचालक या प्राधिकृत अधिकारी से मत्स्यन पोत के दस्तावेज और रिकार्ड प्रस्तुत करने तथा अपराध से संबंधित ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा करेंगे, जो उचित समझे जाएं।

21. राजस्व का प्रेषण.- इन नियमों के अधीन अर्जित समस्त राजस्व भारत कोष को या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार जमा किए जाएंगे।

[फा. सं. UI/251/10/2025]

अखिनो विमल, संयुक्त सचिव

फॉर्म ।

एक्सेस पास के लिए आवेदन प्रारूप

(**नियम** 4 (1) **देखें**)

1.	1. मालिक /FFPO/SHG/मात्स्यिकी सहकारी/कंपनी का नाम 2. पंजीकरण संख्या।	:	
2	3. मालिक /FFPO/SHG/मात्स्यिकी सहकारी/कंपनी का पता 4. GST नंबर/ CIN (कंपनियों के मामले में) 5. आधार कार्ड नं. 6. पैन कार्ड नं. 7. मोबाइल नं . 8. ईमेल 9. वेबसाइट	:	
3.	10. मत्स्यन पोत का नाम	:	
4.	11. मत्स्यन पोत का पंजीकरण संख्या: 12. पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री: 13. IMO संख्या (जैसा लागू हो) 14. अंतर्राष्ट्रीय कॉल साइन (जैसा लागू हो) 15. MMSI संख्या / AIS संख्या (जैसा लागू हो) 16. ट्रांसपोंडर / वीएमएस नं. 17. चालक दल की क्षमता	:	